

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी - बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 05/2020

दायर दिनांक :- 03/02/2020

निर्णय दिनांक :- 15/04/2026

अनवान

1. जमनालाल पिता भैरूलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. कंचनदेवी पुत्री भैरूलाल नाई पत्नि लेहरूलाल नाई निवासी गिरडीर्यी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. पारस पिता भैरूलाल पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी मोरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. किशनलाल पिता भैरूलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. राघदेवी पिता भैरूलाल पत्नि मदनलाल नाई निवासी चौकडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशलाल पिता मोहन नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. नानीबाई विधवा हीरालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. बाबुलाल पिता पन्नालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. राघेश्याम पिता पन्नालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. मुकेश पिता पन्नालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. अशोक पिता पन्नालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. शान्तिलाल पिता पन्नालाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. रामचन्द्र पिता गोकल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. नानीबाई विधवा गोकल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. गिरिराज पिता सोहन नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. हरिशंकर पिता सोहन नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. सीता पिता सोहन नाई निवासी रेलमगरा हाल पति अम्बालाल निवासी कुवारिया जिला राजसमन्द
13. कैलाशी पिता सोहन नाई निवासी रेलमगरा हाल पति ओमप्रकाश राशमी त.राशमी जिला चितोडगढ
14. भगवन्ती पिता सोहन नाई निवासी रेलमगरा हाल पति प्रभुदर्शन राशमी त.राशमी जिला चितोडगढ
15. उच्छवदेवी विधवा सोहन नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
16. चम्पा पिता प्रभु नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. सुरेश पिता बट्टीलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

सहयक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

18. दिनेश पिता बद्रीलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
19. लक्ष्मीलाल पिता बद्रीलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
20. गणपती विधवा बद्रीलाल नाई निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
21. प्रेमदेवी पति भगवातीलाल स्वर्णकार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 2815/2 रकबा 10 विस्वा 10 विस्वाशी, आराजी संख्या 2815 मीन रकबा 10 विस्वा 10 विस्वाशी होकर ग्राम रेलमगरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित हैं। जिन पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जो प्रार्थीगण को विभाजन में प्राप्त हुई हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं। आराजी संख्या 2822 मीन रकबा 4 विस्वा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की है राजस्व अभिलेख में इन भूमियों में प्रार्थीगण की माँ लेहरीबाई का नाम भी अंकित है लेहरीबाई की मृत्यु हो चुकी है एवं राजस्व नक्शे का फिडिंग कार्य चलने से नामान्तरकरण की प्रक्रिया वर्तमान में लम्बित हैं। आराजी संख्या 2822 मीन रास्ते से सटमा है जिससे प्रार्थीगण बिलानाम सरकारी रास्ते से अपनी आराजी संख्या 2822 मीन में होते हुए पूर्व दिशा से प्रवेश होकर पश्चिम दिशा तक अपनी आराजी में होकर आयेगे जायेंगे इसके पश्चात रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर आराजी संख्या 2817 में रास्ते के रूप में पहुँचने के लिये आराजी संख्या 2822/1 के पश्चिमी पाली के सहारे उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ आ. चाह संख्या 2817 एवं आराजी संख्या 2818 में होता हुआ आराजी संख्या 2818 के दक्षिणी पाली के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होते हुए आराजी संख्या 2819 में प्रविष्ट कर दक्षिणी पाली के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 2820 की उत्तरी पूर्वी कोने से प्रविष्ट कर आराजी संख्या 2820 के पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ आराजी संख्या 2820 के बीचोबीच होता हुआ आराजी संख्या 2815/2 में प्रविष्ट करेगा। उक्त रास्ता हल, बैल, बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि के रूप में कृषि उपज लाने के रूप में 15 फिट चौड़ा व सम्पूर्ण लम्बाई के रूप में रास्ता दिलाया जावे। उक्त रास्ते की भूमि के रूप में जितना क्षेत्रफल भूमि उपयोग में आयेगा उसके डी. एल. सी. रेट की दुगुनी राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। उक्त भूमि रास्ते के रूप में निर्वापित फरमायी जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक दिनांक 1/1/2020 को जब प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार नाप की भूमि के क्षेत्रफल की राशि डी.एल.सी. रेट की दुगुनी देकर रास्ते की भूमि के लिये कहा गया तो विपक्षीगण ने इंकार कर दिया जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक दिनांक 1/1/2020 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। प्रार्थना पत्र का मु प्रार्थना पत्र का मुल्यांकन 1000 रुपये कायम किया जाकर निश्चित न्यायालय शुल्क 2.00 रुपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। वादग्रस्त भूमिया ग्राम रेलमगरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्रेषित है

6  
 सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मेरिट पर निर्णय किया जाता है, जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी अनुशंषा की गई कि प्रार्थी को अपने खेत पर जाने हेतु रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अन्यथा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ते की स्वीकृति करते समय कोई पेड/फसल/निर्माण प्रभावित नहीं होते हैं। आराजी संख्या 2820 में से लम्बाई 63 मीटर तथा चौड़ाई 4.57 मीटर कुल रकबा 288 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा के प्रार्थी की आराजी संख्या 2815/2 एवं 2815 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2822/1 के पश्चिमी एवं दक्षिणी पाली एवं 2818 के दक्षिणी पाली के सहारे लम्बाई 63 मीटर तथा चौड़ाई 4.57 मीटर में नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार कुल रकबा 288 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे एवं प्रार्थी से वर्तमान पंजीयन दर अनुसार उक्त प्रस्तावित रकबे का दो गुना राशि वसूल कर विपक्षीगण को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा